मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014-श्रावण 3, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अफजाल सिद्दीकी आत्मज श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी फ्लेट नं. 01, गिरनार अपार्टमेंट, तैयब अली चौक, जबलपुर वालों ने मोहम्मद तकी रजा सिद्दीकी के स्कूल क्राइस्ट चर्च ब्वाइज सीनियर सेकन्ड्री स्कूल, जबलपुर के प्रवेश फार्म (एडमीशन फार्म के. जी.-1) के समय गलती से पिता का नाम श्री कमरुद्दीन खान लिख दिया था जबकि पिता का नाम मोहम्मद अफजाल सिद्दीकी लिखा जाना चाहिये था. अत: इसे भूलवश त्रुटि मान कर सबही आवश्यक लेखों में लिखा व पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(कमरुद्दीन खान)

नया नाम :

(मोहम्मद अफजाल सिद्दीकी)

(196-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Anil Yadav S/o B. S. Yadav R/o. New Residency Area, Gola Ka Mandir, Gwalior, M. P. I am residing at above mentioned address and my nationality is Indian. My Son name Rishabh Yadav is a student of 9th class. Mayo College Hostel, Ajmer. As per the family custom our family Gotra Kankash is to be included in his name. In future my son will be known and named as Rishabh Raj Kankash. This Public Notice is published for change of my son's name from Rishabh Yadav to Rishabh Raj Kankash in the records held with all Educational Instts.

Anil Yadav S/o B. S. Yadav
R/o. New Residency Area,
Gola Ka Mandir, Gwalior (M. P.).

(197-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम वंदना सिंघई था, मगर सभी सर्टिफिकेट (वोटर कार्ड, आधार कार्ड) में वंदना जैन है. आगे से मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(वंदना सिंघई)

नया नाम :
(वंदना जैन)
607/1, कालानी नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(199-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम दिनेश सिंघई था, मगर सभी सर्टिफिकेट (वोटर कार्ड, आधार कार्ड) में दिनेश जैन है. आगे से मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(दिनेश सिंघई)

नया नाम :
(दिनेश जैन)
607/1, कालानी नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(198-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र किशन शर्मा की सी.बी.एस.सी. दसवीं की अंकसूची में गलतीवश पिता के नाम के स्थान पर दादा प्रहलाद चन्द्र शर्मा एवं माता के स्थान पर दादी श्रीमती सीतारानी शर्मा अंकित हो गया है जबकि पुत्र किशन शर्मा जिसकी जन्मतिथि 17-12-1995 है, के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम संजीव कुमार शर्मा तथा माताजी का नाम श्रीमती शारदा शर्मा अंकित है जो कि सत्य व सही है.

अत: मेरे पुत्र किशन शर्मा की सी.बी.एस.सी. की दसवीं की अंकसूची में माताजी श्रीमती शारदा शर्मा एवं पिताजी संजीव कुमार शर्मा किया जावे एवं पढ़ा जावे.

संजीव कुमार शर्मा,
शक्तिपुरम कॉलोनी,
खुडा, शिवपुरी (म. प्र.).

(205-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, इकबाल हुसैन पिता नूर मोहम्मद एल आयसी अभिकर्ता पता 271/2, शास्त्री वार्ड नं. 28, पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)-480334 का निवासी हूँ. मैं अपना उपनाम बदलना चाहता हूँ. अत: आज के बाद मुझे इकबाल पटेल पिता नूर मोहम्मद के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(इकबाल हुसैन)

नया नाम :
(इकबाल पटेल)

(206-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शेख अकील फारूक़ी , व्यवसाय प्रा. ट्रेवल्स, पता—मु. पो. अम्बाड़ा, तह. पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा, म. प्र. का निवासी हूं. मैं अपना उपनाम बदलना चाहता हूँ. अत: आज के बाद मुझे अकील फारूक़ी के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(शेख अकील फारूक़ी)

नया नाम :
(अकील फारूक़ी)

(207-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रेखीराम भगत था जिसे बदलकर लिखीराम भगत कर दिया गया है. मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(रेखीराम भगत)

नया नाम :

(लिखीराम भगत)
वार्ड नं. 32, निर्मल नगर,
बालाघाट (म. प्र.).

(203-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कु. प्रियंका ब्राहम्णे के स्कूल प्रवेश के समय पिता का संक्षिप्त नाम एन. आर. ब्राहम्णे दर्ज कराया गया था, किन्तु मेरी पुत्री प्रियंका ब्राहम्णे के जाति प्रमाण-पत्र में मेरा पूरा नाम प्रियंका पिता नाया ब्राहम्णे ही दर्ज है. अतः मेरी पुत्री के शाला रिकॉर्ड में भी मेरा नाम प्रियंका पिता नाया ब्राहम्णे लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(एन. आर. ब्राहम्णे)
(N. R. Brahamne)

नया नाम :
(नाया ब्राहम्णे)
(Naya Brahamne)
सी. एक्स.-7, गौरीधाम कॉलोनी,
खरगौन (म. प्र.)

(208-बी.)

उपनाम परिवर्तन

मुझे हेमा पुजारी पुत्री स्व. श्री गोविन्द पुजारी का विवाह दिनांक 07-06-1995 को श्री सुनील राखे पुत्र स्व. श्री सुधाकर राव राखे से हो जाने के कारण अब सभी शासकीय अभिलेखों एवं अन्यत्र भी मुझे हेमा पुजारी के स्थान पर श्रीमती हेमा राखे के नाम से जाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हेमा पुजारी)

नया नाम :

(हेमा राखे)
निवासी—डी-4/डी सारिका इन्क्लेव,
थाटीपुर, ग्वालियर.

(210-बी.)

उद्घोषणा

[इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के तहत्]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म श्री राम कान्स्ट्रेक्शन कम्पनी, बिजुरी के भागीदार सुशीला देवी खेडिया पत्नी स्व. श्री राधेश्याम खेडिया का स्वर्गवास दिनांक 14-06-2011 को हो गया है. उक्त फर्म के शेष सभी भागीदार आनंदकुमार खेडिया, मुरलीधर खेडिया, बालमुकुन्द खेडिया, बेंकटेश्वर कुमार खेडिया (वैंकट खेडिया) पुत्रगण सभी स्व. श्री राधेश्याम खेडिया उक्त फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

यह उद्घोषणा सर्व-साधारण सूचना एवं सम्यक् कार्यवाही हेतु प्रकाशित है.

भवदीय
श्री राम कान्स्ट्रेक्शन कंपनी,
वेंकटेश्वर कुमार खेडिया,
खेडिया भवन, बिजुरी,
जिला अनूपपुर (म. प्र.).

(200-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स नीलमाधव अर्थ मूवर्स, गढ़ाकोटा, पंजीयन क्रमांक-एस.एफ. 156, दिनांक 02-05-2002 के एक भागीदार श्रीमति सुशीला देवी चौदहा पत्नि स्व. श्री महादेव प्रसाद चौदहा दिनांक 01-04-2013 से अलग हो गई हैं एवं उक्त दिनांक से फर्म में नये भागीदार मयंक माधव चौदहा पिता श्री बद्री प्रसाद चौदहा शामिल हो गए हैं. इस प्रकार वर्तमान में श्री बद्री प्रसाद चौदहा, श्री रमाकान्त चौधरी एवं मयंक माधव चौदहा कार्यरत हैं. यदि इस बाबत् किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया 15 दिन के अन्दर सूचित करें.

मे. नीलमाधव अर्थ मूवर्स, गढ़ाकोटा,
रमाकान्त चौधरी,
भागीदार.

(201-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अरमा डवलपर्स, दिनांक 14 फरवरी, 2012 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00295/12, सन् 2011-12 के रूप में कार्य कर रहे है. जिसे कि पूर्व में दिनांक 04/10/2013 को संशोधित किया जा चुका है. अब पुनः संशोधित साझेदारी बिलेख दिनांक 05 जून, 2014 के द्वारा- (1) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री एम. एल. भारद्वाज, निवासी-28, ललितपुर कालोनी, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी-कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर (दिनांक 05 जून, 2014 से प्रभावशील) स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर हट रहे हैं तथा इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में (1) श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द गुप्ता, फ्लेट नं. 301, अचलेश्वर टावर, एस. डी. एम. रोड, लश्कर, ग्वालियर, दिनांक 05 जून, 2014 से सम्मिलित हुये हैं. इस तरह साझेदारी बिलेख दिनांक 05 जून, 2014 (प्रभावशाली दिनांक) द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदार वर्तमान में है. (1) श्री रितेश गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द गुप्ता, निवासी-फ्लेट नं. 301, अचलेश्वर टावर, एस. डी. एम. रोड, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी-हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर, (3) श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव पत्नी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, निवासी हरीशंकरपुरम, झाँसी रोड, ग्वालियर तथा फर्म के पते में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है जोकि डी-2, हरीशंकरपुरम ग्वालियर यथावत् में रहेगा.

हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो.

महेश भारद्वाज,
मैसर्स अरमा डवलपर्स,
डी-2, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर.

(202-बी.)

सूचना

हमारी फर्म ग्रेनाइट इण्डिया, पता गुप्ता कॉम्पलेक्स, बस स्टैण्ड के पास छतरपुर (मध्यप्रदेश) के आफिस का पता बदल गया है हमारी फर्म का दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से नया पता ग्रेनाइट इण्डिया, 43, जवाहर रोड, छतरपुर, मध्यप्रदेश हो गया है. फोन नम्बर-07682-241167.

Arun Kumar Gupta,
(Partner)
M/s-GRANITE INDIA.

(204-बी.)

JAHIR SUCHNA

According to provisions of partnership Act, 1932 we are intimate to general public that M/s Amar Construction Co., Address 38, Vijay Nagar, Burhanpur. Whose registration No. Is 03/47/02/00045/08 of 2008-2009 had retire 3 partner from the firm with effect from 04-07-2011 named. 1. Rajendra Joshi HUF throughout karta Shri Rajendra Radheyshyam Joshi Address 37-38, Vijay Nagar, Burhanpur and 2. Dinesh Joshi HUF throughout karta Shri Dinesh Radheyshyam Joshi Address 37-38, Vijay Nagar, Burhanpur, 3. Shti Tazammul Husain Azad R/o Lalbagh Road, Burhanpur and introduce one new partner named Shri Dinesh Joshi S/o Radheyshyam Joshi R/o 37-38, Vijay Nagar, Burhanpur.

Rahul Rajendra Joshi
(Partner).
For : Amar Construction Co.

(209-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, डबरा, जिला ग्वालियर

डबरा, दिनांक 05 जुलाई, 2014

प्र. क्र. 01/2013-14/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री हुकूमतराम बत्रा पुत्र श्री नेवंदराम बत्रा, निवासी-सुभाषगंज, डबरा, जिला ग्वालियर, अध्यक्ष संरक्षक सदस्य त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मण्डल न्यास, डबरा, जिला ग्वालियर एवं अन्य द्वारा त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मण्डल न्यास, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास संबंधी कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले इस सूचना के तीस दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष नियत अवधि के अन्दर या तो स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम, पता	..	त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मण्डल न्यास, डबरा, फर्स्ट मास्टर बैण्ड सितारा लॉज के नीचे, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण स्थिति		
अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.

विजय दत्ता,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(584)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर, जिला श्योपुर

प्रारूप क्रमांक-04

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यह कि आवेदक हुसैन अली मैनेजर सिया दाउदी बोहरा जमात, श्योपुर हुसैन अली पुत्र श्री अब्देअली बोहरा, निवासी श्योपुर, तहसील व जिला श्योपुर ने सिया दाउदी बोहरा जमात श्योपुर ट्रस्ट के गठन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 05 अगस्त, 2014 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तरीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर अथवा अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम, पता	. .	सिया दाउदी बोहरा जमात, श्योपुर.
चल सम्पत्ति	. .	रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार मात्र) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा है.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.

एस. सी. तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(585)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (शहर) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून, 2014

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक श्री जॉन पी. सेमुअल, अध्यक्ष, इंडिया फूल गोसपेल मिशल चेरिटेबल ट्रस्ट, 23 अशोका गार्डन, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर इंडिया फूल गोसपेल मिशल चेरिटेबल ट्रस्ट, नि.—23 अशोका गार्डन, भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 21 जुलाई, 2014 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो, लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	. .	इंडिया फूल गोसपेल मिशल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल 23 अशोका गार्डन, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.
चल सम्पत्ति	. .	रु. 1,000/-

संदीप केरकेट्टा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(596)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी

फॉर्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी.

आवेदक श्री पहाड़सिंग पिता पठान, निवासी नकटीमाता, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "शिवपंथ सत्संग समिति, नकटीमाता, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी" के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या जर्ये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अभयसिंह खरारी,

(597) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, चांचौड़ा, जिला गुना

चांचौड़ा, दिनांक 10 जुलाई, 2014

प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

फॉर्म-4

(देखिए नियम-5)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, उपखण्ड-चांचौड़ा, जिला गुना के समक्ष.

यत: कि श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन शुभोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति, बीनागंज की ओर से अध्यक्ष मनोज जैन, मंत्री अशोक जैन, निवासी—बीनागंज, तहसील चांचौड़ा, जिला गुना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 12 अगस्त, 2014 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	. .	श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन शुभोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति, बीनागंज
अचल सम्पत्ति	. .	ग्राम चांचौड़ा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1440/1/ख, रकबा 0.810 हे. एवं सर्वे क्रमांक 1440/2/ख, रकबा 0.810 कुल रकबा 1620 हे. जिसमें 250 × 27 वर्गफिट में धर्मशाला 2 मंजिल पक्की आर.सी.सी. की बनी है. ऊपरी मंजिल पर 30 × 27 वर्गफिट पर श्री आदिनाथ भगवान का समोशरण विराजमान है. कुल 8 मूर्ति प्रतिमायें विराजमान हैं.

रिंकेश वैश्य,

(595) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चरथर	368/29-03-86	636/07-05-13
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासा	501/16-05-88	620/07-05-13
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाराकला	518/16-03-88	621/07-05-13
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नुन्हाटा	457/25-03-87	622/07-05-13
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्द्रपुरा	511/16-03-88	623/07-05-13
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ऊमरी	344/04-03-85	624/07-05-13
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहरौली	345/04-03-85	625/07-05-13
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तखत की गढ़िया	443/04-03-85	626/07-05-13
9.	गाँधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सुन्दरपुरा	257/14-07-73	661/07-05-13
10.	मोमिन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	193/09-01-70	659/07-05-13
11.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजपुरी	927/03-12-05	662/07-05-13
12.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढ़ोचरा	943/10-07-06	657/07-05-13
13.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहरौली	893/11-10-04	653/07-05-13
14.	पीताम्बरा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	901/13-01-05	642/07-05-13
15.	जय दुर्गे महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., गोविन्द नगर	830/15-02-02	650/07-05-13
16.	महिला नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., महावीर चौक, भिण्ड	887/05-10-04	651/07-05-13
17.	अ.जा./अ.ज.जा. स्टेशनरी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	881/01-03-04	660/07-05-13
18.	महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., हाऊसिंग कॉलोनी	923/25-10-05	639/07-05-13
19.	सूर्या सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	702/01-09-04	641/07-05-13

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दि. से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 30 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

माताप्रसाद,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भिण्ड, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के आदेशानुसार मुझे (आर. एल. जाटव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कृषि एवं डेयरी विकास स्वायत्त सहकारिता मर्या., गोहद	44/18-08-2003	217/25-01-2014
2.	इन्दिरा गांधी प्राथ. उप. सहकारिता भण्डार मर्या., गोहद	09/30-05-2001	224/25-01-2014
3.	राजीव गांधी चर्म उद्योग स्वायत्त सहकारिता मर्या., भिण्ड	26/26-01-2002	232/25-01-2014
4.	हरिजन तेल उद्योग सहकारिता मर्या., मेहगाँव	32/13-01-2003	239/25-01-2014
5.	मोनिका महिला प्राथ. उप. सहकारिता भण्डार मर्या., महावीरगंज, भिण्ड	29/19-12-2002	238/25-01-2014

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे.

समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षक स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. एल. जाटव,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(588)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2006.—यह कि मानव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./804, दिनांक 28 मार्च, 2001 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उसकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है. इस संबंध में संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री मनोहर निमोदिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय को दिनांक 07-01-2014 को पत्र प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. आवेदन में उल्लेख किया गया कि संस्था का गठन जिस उद्देश्य के लिये किया गया था. उसकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है. संलग्न आवेदन में संस्था के सदस्यों द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु लिखा गया था. सदस्यों के आवेदन पर संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2014 को विशेष साधारण सभा आयोजित की गयी. जिसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि संस्था के गठन

के उद्देश्य पूर्ण होने, संस्था द्वारा भविष्य में कोई और कार्य करने की योजना नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही संकल्प पारित किया गया है. वर्तमान में संस्था के 20 सदस्य हैं.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है एवं भविष्य में कोई और कार्य करने की योजना नहीं होने से संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./804, दिनांक 28 मार्च, 2001 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री मनोहर निमोदिया, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(590)

इंदौर, दिनांक 13 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2014.—अपना घर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्र.डी.आर./आय.डी.आर./134, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 को आदेश क्रमांक/4862, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 से परिसमापन में लाया जाकर एवं संशोधित आदेश से श्री राजेश विक्टर, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक बनाया गया.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी. सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था का उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है. संस्था का अंकेक्षण न होने से परिसमापन में लाया गया था. अत: उद्देश्य पूर्ण करने के लिये संस्था को पुनर्जीवित किया जाये, परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

परिसमापक के आवेदन अनुसार संस्था के कार्यालय पर आयोजित की गयी एवं संस्था को परिसमापन से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. जोकि संस्था के सदस्यों द्वारा भी पारित किया गया था. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत अपना घर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्र.डी.आर./आय.डी.आर./134, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था सदस्य श्री नरेन्द्र शर्मा एवं श्री कृष्ण कुमार शर्मा को संस्था की दो सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ और उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(590-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1144, दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से ''डी'' वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ यमुना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1443, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(591)

खरगोन, दिनांक 04 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./13/1152, दिनांक 07 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., महेश्वर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1445, दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(591-A)

खरगोन, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/505.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कालम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कालम 4 में दर्शित हैं एवं कालम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कालम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2013 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्रमांक	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीकनगांव.	भीकनगांव	1051/ 17-06-1996	1205/ 31-10-2011	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
2.	इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद.	कसरावद	1242/ 03-02-2000	1133/ 05-09-2013	श्री राजाराम भट्ट, सह. विस्तार अधिकारी.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोलवाडी.	सेगांवा	1027/ 12-12-1995	157/ 15-01-1998	श्री राजाराम भट्ट, सह. विस्तार अधिकारी.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साटकूट.	कसरावद	1367/ 31-03-2004	1244/ 20-09-2013	श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठाखुर्द.	खरगोन	1389/ 28-07-2004	162/ 30-01-2014	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधिकारी.
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलाली.	गोगांवा	1080/ 26-07-1999	1324/ 07-10-2013	श्री मनोहर वास्केल, सह. निरीक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलतार.	कसरावद	1246/ 27-03-2000	1341/ 07-10-2013	श्री राजाराम भट्ट, सह. विस्तार अधिकारी.
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कातोरा.	बडवाह	1335/ 31-03-2003	1341/ 07-10-2013	श्री संतोष जोशी, वरि. सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(591-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3532, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 के द्वारा दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1192, दिनांक 09 नवम्बर, 1979) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें संस्था की लेनदारी एवं देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जाँच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजी. क्रमांक 1192, दिनांक 09 नवम्बर, 1979) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप पंजीयक.

(592)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिंगरौली

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/425, दिनांक 08 अप्रैल, 2013 से शासकीय कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवसर, पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 14 अक्टूबर, 1965 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एस. सिंह, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर अपने पत्र दिनांक 28 मार्च, 2014 से अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई. इस प्रकार प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक आयुक्त

(अंकेक्षण) सहकारिता, जिला सिंगरौली से अभिमत लिया गया. प्राप्त अभिमत अनुसार अंतिम प्रतिवेदन का विधि अनुरूप परीक्षण किया गया जिसे पंजीयन निरस्त करने योग्य पाया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, सिंगरौली, मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवसर, पंजीयन क्रमांक ए.आर./एस.डी.एच./306, दिनांक 14 अक्टूबर, 1965 को निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(593)

इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/425, दिनांक 08 अप्रैल, 2013 से आदर्श केन्द्रीय सहकारी समिति मर्यादित, देवसर, पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 20 जुलाई, 1953 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एस. सिंह, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर अपने पत्र दिनांक 28 मार्च, 2014 से अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई. इस प्रकार प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला सिंगरौली से अभिमत लिया गया. प्राप्त अभिमत अनुसार अंतिम प्रतिवेदन का विधि अनुरूप परीक्षण किया गया जिसे पंजीयन निरस्त करने योग्य पाया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, सिंगरौली, मध्यप्रदेश आदर्श केन्द्रीय सहकारी समिति मर्यादित, देवसर, जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक ए.आर./एस.डी.एच./02, दिनांक 20 जुलाई, 1953 को निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. पी. पाल,
उप-पंजीयक.

(593-A)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

आदिवासी छिराघाट मछुआ सहकारी समिति मर्या., पौंडी, पंजी. क्र. 643, दिनांक 14 जून, 1993, विकास खण्ड बीजाडांडी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./2013/677 बी, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/649, दिनांक 20 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री एस. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय संयुक्त आयुक्त (अंके.), सहकारिता, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी छिराघाट मछुआ सहकारी समिति मर्या., पौंडी, पंजी. क्र. 643, दिनांक 14 जून, 1993 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परि./2013/677 बी, दिनांक 31 जुलाई, 2013 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक संस्था में अस्थाई कार्यवाहक कमेटी (श्री मुन्नालाल (अध्यक्ष), श्री लोटन सिंह (उपाध्यक्ष) एवं सर्वश्री संचालक श्री मोहन, श्री रामकुमार, श्री झाडूलाल, श्री दयाली, श्री कोमल दास, श्री लेखराम, श्रीमति निमता बाई, श्रीमति मीरा बाई, श्री सुरेश) को नियुक्त करता हूँ. संस्था पुनर्जीवन की तिथि से छ: माह में नवीन निर्वाचन संपादित कराये.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(594)

प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्या., नैनपुर, पंजी. क्र. 682, दिनांक 22 जून, 1995, विकास खण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परि./2013/677, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 मार्च, 2014 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(594-A)

आदिवासी नन्दकेश्वर घाट मछुआ सहकारी समिति मर्या., चौरई, पंजी. क्र. 667, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994, विकास खण्ड बीजाडांडी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परि./2013/677 ए, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/649, दिनांक 20 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री एस. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय संयुक्त आयुक्त (अंके.), सहकारिता, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के सदस्यों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी नन्दकेश्वर घाट मछुआ सहकारी समिति मर्या., चौरई, पंजी. क्र. 667, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परि./2013/677 ए, दिनांक 31 जुलाई, 2013 को निरस्त करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक संस्था में अस्थाई कार्यवाहक कमेटी (श्री हृदय सिंह उइके (अध्यक्ष), जय कुमार वरकडे (उपाध्यक्ष) एवं सर्वश्री संचालक सुन्नू लाल वरकडे, सेमू सिंह, जय कुमार, प्रेमलाल, राजा प्रसाद, होरी लाल, श्रीमती पुनिया बाई, श्री ओमकार प्रसाद, श्री बसंत लाल, श्री राम लाल) नियुक्त करता हूँ. संस्था पुनर्जीवन की तिथि से छ: माह में नवीन निर्वाचन संपादित कराये.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(594-B)

नर्मदा महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, पंजी. क्र. 706, दिनांक 19 मार्च, 1997, विकास खण्ड नैनपुर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम./परि./2013/673, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, नैनपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 मार्च, 2014 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(594-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/235.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा इन्द्रानगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1197, दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये इन्द्रानगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/236.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा

आजाद नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1831, दिनांक 01 फरवरी, 1981 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आजाद नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-O)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/237.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1444, दिनांक 30 जून, 1987 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/238.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नारायण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1319, दिनांक.....को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नारायण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/239.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चन्द्रावती गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1342, दिनांक 15 जनवरी, 1985 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चन्द्रावती गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-R)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/240.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1366, दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-S)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/241.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1747, दिनांक 29 जनवरी, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-T)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/242.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा आर्शीवाद S. B. I. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./48, दिनांक 04 सितम्बर, 1979 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आर्शीवाद S. B. I. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-U)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/243.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा राधाकृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1492, दिनांक 06 जुलाई, 1973 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये राधाकृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-V)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/244.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा न्यू आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./38, दिनांक 19 मई, 1972 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये न्यू आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-W)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/245.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अंम्बिका एग्रीकल्चर सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1462, दिनांक 09 मई, 1992 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अम्बिका एग्रीकल्चर सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-X)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/246.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेडा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1216, दिनांक 10 अक्टूबर, 1980 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., डाभियाखेडा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/247.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारक सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., उताम्बी, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2016, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चैतन्य फसल संरक्षण सहकारी समिति मर्या., उताम्बी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/248.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री मनुदेवी केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., चापोरा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./19, दिनांक 03 सितम्बर, 2012

को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री मनुदेवी केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., चापोरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/249.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री गणेश केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./20, दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री गणेश केला टिश्यू उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., शाहपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/250.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अमर कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1415, दिनांक 11 जनवरी, 1993 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/252.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सिटीजन कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1769, दिनांक 03 जुलाई, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सिटीजन कुकुट पालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/253.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ब्रहमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1822, दिनांक 03 मार्च, 2001 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ--5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ब्रहमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/254.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1856, दिनांक 28 मई, 2002 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये महाराजा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/255.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा भारत बकरा-बकरी पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1763, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भारत बकरा-बकरी पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/256.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1939, दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये ज्योति पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/257.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./21, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये उमा पशुपालन सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/258.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा रेणुकादेवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1921, दिनांक 05 जुलाई, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये रेणुकादेवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/259.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जय माँ ताती मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ढर्यापुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1948, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय माँ ताती मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., ढर्यापुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/260.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जय जल देव बाबा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवल, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./14, दिनांक 19 जुलाई, 2012 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय जल देव बाबा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवल को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/261.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा मित्र मण्डल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रंगई, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./22, दिनांक 24 जनवरी, 2013 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये मित्र मण्डल मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रंगई को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/262.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा डोंगरगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोंगरगांव, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./25, दिनांक 26 फरवरी, 2013 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये डोंगरगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोंगरगांव को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-M)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/263.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., धुलकोट, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1403, दिनांक 31 अक्टूबर, 1990 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., धुलकोट को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/264.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1406, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-O)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/265.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., डोईफोडिया, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1413, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., डोईफोडिया को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-P)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/266.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सर्वोदय सिंथेटिक प्रोले सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1771, दिनांक 02 अगस्त, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सर्वोदय सिंथेटिक प्रोले सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-Q)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/267.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अमर मुद्रण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1816, दिनांक 28 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर मुद्रण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-R)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/268.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शाह जरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1871, दिनांक 28 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शाह जरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-S)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/269.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अमर महिला रेडिमेट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1904, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अमर महिला रेडिमेट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-T)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/270.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा फेयरडील एक्सपोर्ट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1767, दिनांक 12 जून, 2000 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये फेयरडील एक्सपोर्ट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-U)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/271.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा के. जी. एन बेकरी एण्ड पोडक्ट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1985, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये के. जी. एन बेकरी एण्ड पोडक्ट औद्यो. सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-V)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/272.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2033, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ शारदा औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-W)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/273.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा चांदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., चांदनी, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2034, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को लिखा जाकर लेख

किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये चांदनी गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., चांदनी को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-X)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/274.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2035, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये स्वामी समर्थ औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-Y)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/275.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शितला माता गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2036, दिनांक 23 जुलाई, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शितला माता गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(580-Z)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/276.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा विकास चर्मकार औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2097, दिनांक 20 मार्च, 2008 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये विकास चर्मकार औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/277.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा

केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., देड़तलाई, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2138, दिनांक 13 जुलाई, 2009 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., देड़तलाई को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/278.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा तिरूपति प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1880, दिनांक 22 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये तिरूपति प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/279.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा डाकतार विभाग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1331, दिनांक 06 जून, 1984 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये डाकतार विभाग कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/280—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा शासकीय कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1668, दिनांक 22 जून, 1998 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये शासकीय कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/281.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा

धनश्री प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1851, दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये धनश्री प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/282.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा लक्ष्मीनारायण क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./ 1896, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीनारायण क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/283.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जिला बुरहानपुर आंगनवाड़ी वर्क्स महिला साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2130, दिनांक 24 मार्च, 2009 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जिला बुरहानपुर आंगनवाड़ी वर्क्स महिला साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/284.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ वैष्णवी साख सहकारी समिति मर्या., फोफनार, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1909, दिनांक 22 मार्च, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ वैष्णवी साख सहकारी समिति मर्या., फोफनार को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/285.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा जय माता दी सह. साख सहकारी समिति मर्या., बहादुरपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1979, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये जय माता दी सह. साख सहकारी समिति मर्या., बहादुरपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/287.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा संत श्री गाडगे महाराज प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2149, दिनांक 06 मार्च, 2010 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये संत श्री गाडगे महाराज प्राथ. साख सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/288.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ गायत्री को-ऑप. एग्रो सहकारी समिति मर्या., बसाड, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1879, दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ गायत्री को-ऑप. एग्रो सहकारी समिति मर्या., बसाड को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/289.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा भगवान महावीर को-ऑप. एग्रो सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2101, दिनांक 27 जून, 2008 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भगवान महावीर को-ऑप. एग्रो सर्विस सहकारी समिति मर्या., शाहपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/290.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सद्गुरू जैविक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., निम्बोला, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2004, दिनांक 24 मार्च, 2007 को लिखा

जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सद्गुरू जैविक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., निम्बोला को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-M)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/304.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री राधा स्वामी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., झिरणजरियॉ, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2025, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये श्री राधा स्वामी फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., झिरणजरियॉ को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581-N)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/306.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा योगेश्वर फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सांडसकला, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2061, दिनांक 04 अगस्त, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये योगेश्वर फसल सुरक्षा सहकारी समिति मर्या., सांडसकला को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(581-O)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014-श्रावण 3, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर मण्डला को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह (मुरैना), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), शिवपुरी, नरवर, करैरा, कोलारस (शिवपुरी), नौगाँव, बड़ामलहरा (छतरपुर), बिछिया, मण्डला, घुघरी (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), खनियाधाना (शिवपुरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ व धार, गेहूँ, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर, भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर, तेवड़ा व दतिया में मसूर, राई-सरसों, मटर, चना व कटनी में मसूर एवं अन्य रबी फसल व जबलपुर, मुरैना दमोह, इन्दौर, खरगौन, बैतूल, सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	20.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	9.2		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	2.1				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. मसूर, राई-सरसों, मटर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	3.0		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. खनियाधाना	19.0				
4. नरवर	4.0				
5. करैरा	11.0				
6. कोलारस	17.0				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		मक्का, गन्ना, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		राई-सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	17.2				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	1.0				
8. बक्स्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		आलू,प्याज, अधिक. धान, ज्वार,		
4. पवई	. .		बाजरा, मूंग,तिल, गेहूँ, जौ कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
***जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, गन्ना बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. चना, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ बिगड़ी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. कयामपुर	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. श्यामगढ़	. .				
10.संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		राई-सरसों समान.		
4. खरगौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना,मसूर, अलसी, लाख बिगड़ी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .			चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
8. गुलाबगंज	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अलसी अधिक. गेहूँ, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		गन्ना कम.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. वाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर एवं अन्य रबी	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	फसलों की कटाई का	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	कार्य चालू है.	मटर, जौ.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) . .		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अलसी सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	3.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	0.4				
5. घुघरी	1.5				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, बटरा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. बाजरा, ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, सागर, रतलाम, देवास, बड़वानी, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(583)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.